

यूजेवीएन लि�0 कार्पोरेट कार्यालय उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एस0टी0 रोड, देहरादून हेतु बाह्य स्रोतों से
वाहन (चालक रहित) उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि :— 20.03.2025 समय: 12.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय :— 20.03.2025 समय: 15.30 बजे

आवेदनकर्ता द्वारा भरा जायेगा

1— (अ) आवेदक का नाम

(कृपया आवेदक का आईडी यथा—चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न किया जाए)

(ब) पता

.....
.....

(स) दूरभाष नम्बर

(द) फैक्स नम्बर

2— जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर(कृपया प्रति संलग्न करें)

3— आयकर पैन नम्बर(कृपया प्रति संलग्न करें)

4— ई0पी0एफ रजिस्ट्रेशन नम्बर(कृपया प्रति संलग्न करें)

5— गतवर्ष में किये गये कार्यों का विवरण (कृपया प्रतियाँ संलग्न की जाए)

(अ) क्लाइन्ट्स का नाम एवं पता(कार्यादेशों की प्रति संलग्न करें)

6— आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत / पार्टनरशिप)(कृपया प्रति संलग्न करें)

7— पंजीकरण हेतु आवेदित वाहनों की संख्या (चालक रहित).....

(कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप—1 पर संलग्न किया जाए)

8— प्रतिभूति की धनराशि रूपये(शब्दों में)

एफडीआर / सीडीआर संख्या दिनांक

बैंक का नाम

घोषणा पत्र

मैं सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून अभिरुचि की अभिव्यक्ति दिनांक के अन्तर्गत “आवेदनकर्त्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश” एवं “सामान्य नियम एवं शर्तें” में विहीत समस्त शर्तों एवं अनुमोदित दरों का अवलोकन कर लिया गया है और उन्हें भली प्रकार समक्ष लिया गया है। मैं यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्धारित शर्तों पर तथा विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दर पर अपने वाहन मासिक आधार पर (चालक रहित) देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर आवेदन कर्ता

नाम

मोहर

आवेदनकर्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश

1— उद्देश्य एवं कारण

प्रस्तुत आवेदन आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाहन संचालन के क्षेत्र में कार्यरत सभी परिवहन व्यवसायियों को यूजेवीएन लिमिटेड के अधीन देहरादून स्थित कार्यालयों में समान अवसर प्रदान करना है। अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूजेवीएन लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय ‘उज्ज्वल’, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति (चालक रहित) किये जाने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून में पंजीकरण हेतु आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

2— आवेदन प्रपत्र एवं मूल्य

आवेदन प्रपत्र सामान्य नियम एवं शर्तें व अन्य विवरण निगम की वेबसाइट (www.ujvnl.com) में उपलब्ध कराये गये हैं। इच्छुक प्रतिभागी द्वारा आवेदन पत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

3— पात्र आवेदक

- 3.1 पात्र आवेदक से आशय ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी से है जो इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता है। आवेदक की अपनी पात्रता के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख, जो आवेदन में उसके द्वारा दिए गए कथनों की पुष्टि करते हैं, संलग्न करना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म/कम्पनी की दशा में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी भी संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3.2 आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी समय फर्म/आवेदक की संरचना (composition) में परिवर्तन बिना अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) की लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा।

4— आवेदक का उत्तरदायित्व

- 4.1 आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र का भलिभाँति अध्ययन कर ले और यह सुनिश्चित कर ले कि वह आवेदन की सभी शर्तों/आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। किसी समय आवेदन की शर्तों/आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल रहने का जोखिम आवेदक का होगा।
- 4.2 आवेदन पत्र में दिए गए विवरण विभाग द्वारा सावधनीपूर्वक तैयार किए गए हैं और इस प्रपत्र में दी गई सूचनायें आवेदक को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक होंगी परन्तु आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व उनका सत्यापन अपने स्तर से आवश्य कर ले। यूजेवीएन लिमिटेड अथवा उसके प्रतिनिधि कोई त्रुटि न होने की गारंची नहीं देता है।

5— आवेदन पत्र तैयार किया जाना

- 5.1 आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है। यूजेवीएन लिमिटेड अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे प्रस्तावों, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं, को निरस्त कर सकते हैं।
- 5.2 आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर, जहाँ अपेक्षित है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अहस्ताक्षरित/अपठनीय आवेदनों को अयोग्य मानते हुए निरस्त करने का अधिकार निगम अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी को होगा।
- 5.3 आवेदक द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक/प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दी गई हैं।
- 5.4 उपरोक्त तैयार आवेदनों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर स्पष्ट रूप से निम्नवत् विवरण अंकित होना चाहिए :—
“यूजेवीएन लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून हेतु बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति (चालक रहित) किये जाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन”
उपरोक्त के अतिरिक्त बाहरी लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क दूरभाष नम्बर भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- 5.5 पूर्ण रूप से भरी हुई आवेदन “अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून–248006” को प्रेषित की जाएंगी।

- 5.6 आवेदन प्रतिभूति संलग्न न होने की दशा में आवेदन प्रपत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की छूट (Exemption) सम्बन्धी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5.7 सभी दरें, करों/जी0एस0टी0 के अतिरिक्त हैं।
- 6— आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि**
- 6.1 पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 20.03.2025 (12:00 बजे) तक अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। फैक्स अथवा ई—मेल आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.2 डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा और विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को बिना खोले आवेदक को लौटा दिया जायेगा।
- 6.3 निगम द्वारा किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं।
- 7— जमा करायी गई आवेदन में संशोधन अथवा वापस लिया जाना**
- 7.1 आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व किसी समय यदि कोई आवेदक जमा किये गये आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो वह इस आशय का लिखित आवेदन कर संशोधन कर सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर “संशोधित आवेदन” स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
- 7.2 परन्तु यह कि आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन में कोई परिवर्तन/संशोधन ग्राह्य नहीं होगा।
- 8— गोपनीयता**
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदनों के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण अथवा संस्तुतियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति, जो अधिकृत रूप से इस प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है, को नहीं दी जाएगी।
- 9— अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएं**
- 9.1 इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्राप्ति शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम, शासन, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम और परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की काली सूची में अंकित नहीं है।
- 9.2 इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्राप्ति शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके पार्टनर या कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रकार का पुलिस/विजीलेन्स जाँच विचारधीन नहीं है और न ही उन्हें किसी सक्षम मात्रा न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
- 9.3 आवेदक जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत है अथवा नहीं, का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाए।
- 9.4 आवेदन में अपेक्षित विगत वर्षों में किये गये कार्यों सम्बन्धी अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
- 9.5 इस आशय का घोषणापत्र कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित संख्या में वाहनों उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
- 9.6 टर्न ओवर सम्बन्धी प्रमाण पत्र—आयकर रिटर्न/बैलेंस शीट।
- 10— पंजीकरण की अवधि**
- उक्त पंजीकरण की अवधि पंजीकरण के दिनांक से एक वर्ष होगी।
- 11— पंजीकरण अवधि के मध्य दरों में संशोधन**
- उपरोक्त दरें एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। पंजीकरण की अवधि दरों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा।

12— कार्यप्रभारित प्रतिभूति

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रूपये **20,280.00** प्रति वाहन (@ 5 % प्रति वाहन प्रति वर्ष) की दर से कार्यप्रभारित प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जाएगी। इस हेतु अपेक्षित धनराशि का एफडीआर/सीडीआर, जो अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून के नाम से हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। उक्त धनराशि अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि हेतु धरोहर के रूप में अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) के कार्यालय में जमा रहेगी, तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।

उक्त धनराशि के सापेक्ष वाहनों को लगाया जा सकेगा। किसी कारणवश यदि वाहनों की कम संख्या को लगाया जाएगा, उस दशा में प्रतिभूति राशि को वापस कर दिया जाएगा।

13— आवेदकों का पंजीकरण

ऐसे आवेदक जो अधिकतम निर्धारित दरों पर तथा निर्धारित शर्तों पर अपने वाहनों की आपूर्ति (**चालक रहित**) करने पर सहमत होंगे, उनका पंजीकरण निगम द्वारा किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है:-

दीर्घकालीन मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु (**चालक रहित**)

14— आवेदनों का मूल्यांकन

- 14.1 प्रस्तर 5 के अनुसार तैयार आवेदनों को अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा एवं इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में खोला जाएगा।
- 14.2 आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस प्रपत्र में दी गयी शर्तों से सहमत होने वाले आवेदकों को सफल घोषित किया जाएगा।
- 14.3 आवेदन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है, आवेदन स्वीकृत करने हेतु आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमैन्स को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

15— नियम

आवेदक द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा— मोटररायान अधिनियम आदि में विहीत व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहाँ लागू हों)

16— कर एवं देयकों का भुगतान

- 16.1 सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।
- 16.2 अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।

Specifications

सामान्य नियम एवं शर्तें

सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :-

1. इच्छुक आवेदक के पास निम्नलिखित निर्माता (make & model) की कम से कम 01 वाहन (स्वयं के नाम से पंजीकृत) होना आवश्यक है:-
 1. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा स्कॉपियो/समकक्ष
2. आवेदनकर्ता द्वारा एक वाहन किसी सरकारी विभाग अथवा निगम में विगत दो वर्ष में कम से कम छः माह के लिए लगातार किराये पर रखा हो। (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)
3. सूची में दिये गये वाहनों में न्यूनतम 01 वाहन होना (स्वयं के नाम पर) अनिवार्य होगा। इससे कम होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर कम से कम, उनके द्वारा आवेदित वाहनों की कुल आंकलित वार्षिक धनराशि के 30 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)
5. सफल आवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, वर्ष 2022 से अधिक पुराना नहीं होगा।
6. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज—सज्जा यथा—सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी की होना आवश्यक है।
7. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
8. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा—पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।
9. आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए।
10. सम्बन्धित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
11. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
12. आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अधिकारियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
13. आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
14. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
15. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नर्ठके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
16. वाहन के लिए डीजल/पैट्रोल की आपूर्ति निम्न माईलेज के आधार पर की जाएगी :-

क्र० सं०	वाहन का मेक	ईंधन की खपत किमी/ली०
1	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा स्कॉपियो / समकक्ष	10

17. वाहनों की आपूर्ति के लिए अधिकत आधार मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

क्र०सं०	वाहन का मेक	मासिक दर रूपये में (जी०एस०टी० अतिरिक्त) (चालक रहित)
1	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा स्कॉपियो / समकक्ष	33,800.00

18. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक / मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रामाणित कराना होगा।

19. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत / सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

20. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

21. भुगतान की रीतः

- (1) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान विभाग द्वारा दैनिक / मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार पर किया जाएगा।
- (2) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

22. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण :

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा—

- (1) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
- (2) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं।

23. आपूर्तिकर्ता द्वारा आवेदित वाहनों में से समस्त अथवा आंशिक रूप से किराये पर लिए जाने का अन्तिम अधिकार अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) का होगा।

24. वाहन का नवीनतम माडल उपलब्ध करवाने वाले आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

25. तैनात वाहन का मॉडल 2022 या नया मॉडल / निर्मित होना चाहिए। यदि वाहन का मॉडल 2022 से अधिक पुराना है तो बिलों पर प्रति वर्ष 5 % की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना पुराने मॉडल के अनुसार बिलों से काटा जाएगा (उदाहरण के लिए यदि वाहन 2022 से पुराना है तो जुर्माना @ 5 % होगा और यदि 2021 से पुराना है तो जुर्माना 10 % और उसके पूर्व जैसी भी मॉडल की स्थिति हो)

26. निगमीय कार्य हेतु की गयी यात्रा के लिए टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा आवश्यकतानुसार बिल/पर्ची प्रस्तुत करने पर की जाएगी। टोल टैक्स/सड़क के सरकारी शुल्क एकत्रित करने के लिए FASTag या अन्य प्रकार के इलैक्ट्रोनिक उपकरण के इंस्टालेशन शुल्क का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

27. FASTag अथवा भविष्य में लागू होने वाले इलैक्ट्रोनिक उपकरण की अनुपलब्धता / सक्रिय न होने के कारण अतिरिक्त टोल टैक्स/जुर्माना का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

28. आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबन्धित किए गए वाहनों की स्थिति खराब व सेवा देने के योग्य न होने की परिस्थिति में ऐसे वाहनों को विभाग से तुरन्त हटा दिया जाएगा तथा आपूर्तिकर्ता को 24 घंटे के भीतर ऐसे वाहनों को तुरन्त बदलना होगा।

29. आपूर्तिकर्ता को अनुबन्धित वाहनों में सदैव कम से कम 15 लीटर ईंधन भरवाकर रखना होगा, ईंधन की कमी की स्थिति में यदि दो शिकायतें (लिखित या मौखिक रूप से) नियंत्रण अधिकारी द्वारा की जाती हैं तो प्रति वाहन कुल मासिक राशि का 5 प्रतिशत जुर्माना मासिक बीजकों से काटा जाएगा।

हस्ताक्षर एवं मुहर
आवेदक

प्रारूप –1

(पंजीकरण हेतु आवेदित आवेदित वाहनों की संख्या)